

बिहार सरकार
रिचार्ज विभाग

आदेश संख्या ९/स्था-१-२०८७/८६ ~~४८५~~ / पटना, दिनांक १५ जनवरी १९८७ ई.

आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक १३५ दिनांक १-१२-८६, १४६ दिनांक ९/१२/८६ एवं पत्रांक १४७ दिनांक ९/१२/८६में सनित्ति अनुशंसा के अलोक में श्री ~~नवल जिला हाई स्कोल~~ द्वारा-बुद्धिनाथ राम, माँ ०- मधे इ नमुरी मार्ग-१, डाक-हेहल, राची।

सौल नम्बर ---1905--- नम्बरंक---131---

- को कनीय अभियंता (अरौनिक) के रूप में वेतन मान ७८५- २५- ११३५ - २०-२५- १२१०/- रुपये तथा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित जीवन यापन भत्ता तथा अन्य वेतन भत्ते पर अस्थायी रूप में नियुक्त कर उनकी पद स्थापन-(१) मुख्य अभियंता, रिचार्ज (अभियंता) प्रका
- (२) लघु रिचार्ज विभाग (३) कृषि विशेष कार्य कम विभाग
- (४) बिहार राज्य जल वाहित मूल बोर्ड के 31/1/87 दिनांक 31/1/87 है।

- २- यह नियुक्ति अस्थायी है एवं कभी भी दिना सूचना के सम्पत्त की जा सकती है।
- ३- ये अपना पद भार ग्रहण प्रतिवेदन (१) मुख्य अभियंता, रिचार्ज (अभियंता) प्रका
- (२) लघु रिचार्ज विभाग
- (३) कृषि (विशेष कार्य, कम) विभाग
- (४) बिहार राज्य जल वाहित मूल बोर्ड

को देगी।

- ४- पद ग्रहण करने के समय उनको आयु प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं प्रावैधिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र को संबंधित पदाधिकारी के पास उपस्थापित करना होगा तथा अस्थायी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- ५- पद ग्रहण करने के समय लघु रिचार्ज सरकारी अरौनिक शैक्ष्य चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य अभियंता के सम्बन्ध उपस्थापित करना होगा।
- ६- पद ग्रहण के लिये कोई यादा भत्ता वेतन नहीं होगा।
- ७- पद निर्गति करने की तिथि से १५ दिनों के अन्दर यदि पद ग्रहण नहीं किया गया तो उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी।
- ८- बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंशानुसार इनकी वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु पूर्व के वर्षों में की गयी कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के बाद इनकी वरीयता होगी।

जा रिचार्ज विभाग

जिला मुख्यालय, रिवा विभाग, समूह 200, 500

मुख्य अभियंता, जल विभाग

कृषि (विशेष कार्य क्रम) विभाग

विहार राज्य जल वाहक मल बोर्ड

एवं सम्बन्धित कनीय अभियंता

को सूचना एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२- अनुरोध है कि सम्बन्धित अधिकारी कनीय अभियंता के पद ग्रहण करने के समय उनके मूल प्रमाण पत्र को देकर उनकी यथार्थता के बारे में अपने का संतुष्ट कर लेंगे तथा अस्थायी रोज घोजणा पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करा लेंगे । साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी कनीय अभियंता का पद स्थापन गृह जिला में नहीं किया जाय ।

अभियंता प्रमुख राह अपर आयुक्त राह विशेष
राय ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
रूपांकण प्रमंडल संख्या-2, राँची।

पत्रांक: 504 /

राँची, दिनांक: - / 2023

कार्यालय आदेश

सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या- 6438 दिनांक-28.11.2023 के द्वारा श्री नवल किशोर प्रसाद (ID-J-7552) तत्कालीन सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या- 4795 दिनांक-06.10.2023 द्वारा विभाग को वापस किये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद को सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है, श्री प्रसाद, इस कार्यालय में दिनांक- 29.11.2023 के अपराह्न अपने पद पर स्वतः पद ग्रहण किये।

श्री प्रसाद, सहायक अभियंता के आवेदन के आधार पर ये 60 (साठ) वर्ष आयु पूरी होने के पश्चात् दिनांक- 30.11.2023 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सूचनार्थ प्रेषित।

- अनु:- 1. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची की अधिसूचना संख्या- 4795 दिनांक-06.10.2023 की छाया प्रति।
2. जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची के अधिसूचना संख्या- 6438 दिनांक-28.11.2023 की छाया प्रति।

६०/-

कार्यपालक अभियंता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची।

पत्रांक:..... /

राँची, दिनांक: - / 2023

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल, राँची / मुख्य अभियंता, जल

संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई समर्पित।

६०/-

कार्यपालक अभियंता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची।

पत्रांक:...../ रॉची, दिनांक:-/2023
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एंव हक) झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०/-
कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची।

पत्रांक: 504 / रॉची, दिनांक:- 30.11 /2023
प्रतिलिपि - श्री नवल किशोर प्रसाद, सहायक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

30-11-2023
कार्यपालक अभियन्ता,
रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची।
मुकुन्द
30.11.23